

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/मा-स/पर्यावरण/2017-21/146

दिनांक : 3.07.21

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा

विषय :- वृक्षारोपण एवं अन्य व्यवस्था के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, जयपुर का पत्रांक : PS/PSSE/2021 दिनांक : 23.06.2021 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक दिनांक : 11.06.21

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गानगीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत इस मानसून में पौधारोपण किए जाने हेतु राज्यव्यापी वृहद एवं व्यवस्थित वृक्षारोपण अभियान आरम्भ किए जाने बाबत प्रदत्त निर्देशों के क्रम में "बा-बापू वृक्षारोपण अभियान" के तहत आगामी 05 जुलाई 2021 से 11 सितम्बर (सत्याग्रह दिवस) तक संपूर्ण राज्य में विभिन्न विभागों में पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय से वृहद पौधारोपण/वृक्षारोपण अभियान संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

विद्यालयों में इस कार्यक्रम को संचालित किए जाने के संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक : 11.06.2021 द्वारा जारी किए गये थे। इन निर्देशों की निरन्तरता में निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. ऐसे समस्त विद्यालय, जिनका परिसर चारदीवारी द्वारा सुरक्षित है तथा नर्सरी लगाए जाने हेतु पर्याप्त भूमि तथा जल स्रोत उपलब्ध है, उनमें फलदार पौधों का रोपण तथा पोषण वाटिका का निर्माण करवाया जाएगा, जिसकी देखभाल विद्यालय की समिति/विद्यार्थियों के द्वारा की जाएगी।
2. यदि किसी विद्यालय परिसर में 200 पौधे लगाए जाते हैं, तो उनके रख-रखाव हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना से एक श्रमिक उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गई है। उक्तानुरूप संबंधित पीईईओ/संस्था प्रधान द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी से अग्रिम संपर्क-समन्वय स्थापित कर विद्यालय में लगाए जाने वाले पोषण वाटिका/नर्सरी की समुचित सुरक्षा/संरक्षा हेतु जरूरी एहतियाती उपाय किए जाने की सुनिश्चितता की जाएगी।



(सौरभ स्वागी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिशद सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. समस्त सांभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को आवश्यक प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) - माध्यमिक शिक्षा।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साइट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर